अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 04/2022.(GCMS : 2022/91) हरीराम पुत्र बस्तीराम जाति कुम्हार आयु करीब 71 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, 4 एम एल, चक 5 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, आधार कार्ड नं. 2095 0265 5609 बनाम अमित पुत्र सुरेन्द्र पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं 4, चक 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरीराम एंव रेस्पोडेंट अमित स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

प्रार्थी हरीराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 21 व 23 के तहत इस कथन के साथ पेश किया था कि अप्रार्थी, प्रार्थी का सगा पोता है, जो कि अलग रहता है। नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा ट्रेक्टर एवं ऑटो मोबाईल मार्केट, श्रीगंगानगर की दुकानों को नीलामी द्वारा विक्रय किया गया, दुकान नं. 4, पैमाइशी 10गुणा 20 फीट की बोली प्रार्थी की सबसे अधिक होने के कारण दिनांक 04.11.1993 को नगर विकास न्यास द्वारा उपरोक्त दुकान का भूखण्ड प्रार्थी को विक्रय किया, जिस पर प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाई गई तथा राशि जमा करवाने पर अनुज्ञा पत्र क्रमांक 3567/06.11.1993 प्रार्थी के नाम से जारी किया गया तथा कब्जा पत्र क्रमांक 3563/06.11.1993 जारी किया गया, तीनों की नकलें शामिल है तथा बोली में दुकान प्रार्थी को छोडने की प्रति भी शामिल है, [illegible] को की गई थी तथा बोली पत्र 349/04.11.1993 जारी [illegible] इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त दुकान के भूखण्ड का [illegible] रसीद की नकल भी शामिल हैं प्रार्थी ने अपनी लागत से उपरोक्त दुकान में निर्माण कार्य [illegible], जो कि दो मंजिला बनी हुई हैं आधार कार्ड की नकल तथा नक्शा की फोटो प्रति भी शामिल है। किसी को किसी प्रकार से रहन बैय अथवा मुंतकिल नहीं किया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी आज भी उपरोक्त दुकान निर्मितशुदा का मालिक व हकदार है। प्रार्थी के पुत्र सुरेन्द्र कुमार का देहांत होने पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी की परवरिश व शिक्षा आदि की व्यवस्था की। अप्रार्थी ने गत माह प्रार्थी को यह कहा कि वह प्रार्थी की पूर्ण रूप से सेवा करेगा, उपरोक्त दुकान उसको कार्य करने के लिए दी जावे। सगा पोता होने के कारण प्रार्थी ने सेवा का विश्वास दिलाने पर गत माह दुकान नं 4, ट्रेक्टर व ऑटो मोबाईल मार्केट अप्रार्थी को दे दी। **गत वर्ष वह शिक्षा अध्ययन कर रहा था, अब कार्य करने का कहकर प्रार्थी से उपरोक्त दुकान सेवा का बहाना बनाकर ले ली।** अब वह येनकेन प्रार्थी को तंग व परेशान कर रहा है, दुकान का कब्जा वापिस मांगने पर झगड़ा करने पर ऊतारू हो जाता है। इसी कारण अनुचित दबाव बनाने के लिए ही अप्रार्थी ने दिनांक 16.09.2020 को एक झूठा मुकदमा कृषि भूमि हड़पने के लिए भी उपखण्ड अधिकारी, राजस्व श्रीगंगानगर में कर दिया है। इस प्रकार अप्रार्थी की नियत येनकेन प्रकरण प्रार्थी की उपरोक्त दुकान हडपने की है। इन हालात में प्रार्थी जो वरिष्ठ नागरिक है के अधिकारों की सुरक्षा करवायी जानी व उपरोक्त दुकान का कब्जा प्रार्थी को अप्रार्थी से पुलिस की सहायता से तुरंत दिलाया जाना आवश्यक है तथा यदि कोई फर्जी दस्तावेज बना लिया हो तो उसको शून्य घोषित करना आवश्यक है जिससे प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त दुकान को गलत तौर सं संयुक्त परिवार की होने का मानकर यह कथन करके कि यदि अपीलांट को कब्जा भी [illegible] नहीं कर सकेगा, अतः 5000 रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता के [illegible] आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपनी ब[illegible] में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के खिलाफ पास किया गया है, इसलिए वेह निरस्त करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे कथन था कि दुकान नं. 4 ट्रेक्टर एवं ऑटो मोबाईल मार्केट श्रीगंगानगर की समस्त राशि अपीलांट द्वारा नगर विकास न्यास में जमा करवाई गई जो कि 83,783/– रूपये अपीलांट द्वारा स्वयं दिनांक 04.11.1993 को जमा करवाई गई जिसके सम्बन्ध में नगर विकास न्यास का पत्र क्रमांक 3549 दिनांक 04.11.1993 की नकल शामिल है तथा उपरोक्त दुकान का अनुज्ञा पत्र भी दिनांक 06.11.1993 को अपीलांट के नाम से जारी किया गया है तथा कब्जा पत्र भी अपीलांट के नाम से जारी किया गया, अनुज्ञा पत्र की स्टाम्प ड्यूटी भी अपीलांट ने ही अदा की, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दुकान का अपीलांट अकेला मालिक व हकदार है। इसलिए उसकी उक्त दुकान उसे दिलाई जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट की उपरोक्त दुकान संयुंक्त परिवार की होती तो **अपीलांट के पुत्र द्वारा सक्षम न्यायालय में घोषणा करवाने का वाद किया जाता अथवा विभाजन का वाद किया जाता,** मगर इस प्रकार का कोई दावा कभी नहीं किया गया, इस प्रकार अधनीस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जरे अपील पारित किया है क्योकि किसी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बारे में घोषणा का अधिकार केवल मात्र अदालत दीवानी को ही है न कि अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार का कोई अधिकार निहित करता है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट ने अपनी लागत से नगर विकास न्यास से [illegible] व आवंटन भी अपीलांट अकेले को हुआ, अतः उ[illegible] कभी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रही, ना [illegible] अथवा पोते को कभी हक व अधिकार हो सकता है, ना ही दीवानी [illegible]ालय से कभी अधिकारों की घोषणा करवाई गई है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील गलत पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

उनका आगे यह भी कथन था कि रेस्पोडेंट ने जिन गवाहान के शपथ पत्र पेश करवाये है अथवा रेस्पोडेंट से किसी प्रकार से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिरह का अवसर देने पर ही बयानों की सच्चाई अथवा झूठ न्यायालय के समक्ष आ सकता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट अथवा उसके गवाहान के गलत बयानों पर विश्वास कर अपीलांट की मलकीति दुकान को संयुक्त परिवार की होना मानने में भारी कानूनी भूल की गई है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट जो वरिष्ठ नागरिक है उसकी सम्पत्ति का संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है व रेस्पोंडेंट को अपीलांट की दुकान से बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने चाहे गये अनुतोष से हटकर व चाहा गया अनुतोष प्रदान ना कर आदेश जेर अपील गलत पारित किया है, इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी अमित कुमार ने कथन किया कि प्रार्थी ने श्रीगंगानगर में ट्रेक्टर एवं ऑटो मोबाईल मार्केट में दुकान नम्बर 4 पैमाईशी 10 गुणा 20 फुट का कब्जा प्राप्त करने हेतु उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 21 व 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण के तहत पेश किया है जो उक्त्त अधिनियम की धारा 21 व 23 की परिधि में नही आता है इसलिए अ[illegible] योग्य हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह [illegible] था कि अपीलार्थी, उसके दादा है और वादग्रस्त दु[illegible] 20 फुट संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। प्रार्थी के तीन पुत्र रामजी[illegible]ल, गोपरीम व सुरेन्द्र कुमार है। सुरेन्द्र कुमार का देहांत दिनांक 31.7.2020 को हो चुका है और वह(रेस्पोडेंट) सुरेन्द्र कुमार का पुत्र है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी के तीनों पुत्रों रामजीलाल, गोपीराम व सुरेन्द्र कुमार ने सन् 1993 में एक डी.आई. ट्रेक्टर व उक्त दुकान नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से अलॉट करवाई थी और कुल पैसा संयुक्त परिवार ने अदा किया था और संयुक्त परिवार के सदस्यों ने आपस में घरेलू बंटवारा कर दिया था।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी व प्रार्थी के तीनों पुत्रों व प्रार्थी के रिश्तेदारों की उपिस्थति में **सम्पत्ति, दुकान, कृषि भूमि व डी.आई. ट्रेक्टर का बंटवारा कर दिया था और इस घरेलू बंटवारा में डी.आई. ट्रेक्टर रामजीलाल व गोपीराम को व उक्त दुकान जो प्रार्थी के नाम से आवंटित है को सुरेन्द्र कुमार को दे दी थी** और तब से सुरेन्द्र कुमार उक्त दुकान में अपना मिस्त्री का कारोबार करने लग गया और रामजीलाल व गोपीराम डी. आई.ट्रैक्टर से खेती करने लग गये, कृषि भूमि का भी पक्षकारान ने आपस में बंटवारा कर दिया इस इस प्रकार वादग्रस्त दुकान अप्रार्थी के पिता सुरेन्द्र कुमार को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी के पिता का देहान्त होने से अप्रार्थी का उक्त दुकान मे व्यवसाय का अपना व अपनी मां व छोटे भाई का पालना पोषण कर रहा है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त विवादित दुकान संख्या 4 दो मंजिला बनी हुई है परन्तु उक्त निर्माण प्रार्थी ने नहीं किया है और उक्त दुकान का दो मंजिला निर्माण अप्रार्थी के पिता सुरेन्द्र कुमार ने ही किया था।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी के पिता सुरेन्द्र कुमार का देहान्त होने पर प्रार्थी ने [illegible] के प्रति अपना पारिवारिक रिश्ता नहीं निभाया और प्रार्थी ने [illegible] भूमि को बेचने का व अप्रार्थी को भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया और उक्त दुकान से अप्रार्थी को बेदखल करने के प्रयास में यह आवेदन पत्र पेश किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी हरीराम एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी अमित उनका पोता है। **अपीलार्थी ने अपनी लागत से दुकान नं 4 पैमाईशी 10 गुणा 20 फीट नगर परिषद् श्रीगंगानगर से 04.11.1993 को आवंटन करवाई थी।** अप्रार्थी, प्रार्थी का सगा पोता है और उक्त विवादित दुकान संख्या 4 पर वह मिस्त्री का कार्य करता है। अपीलार्थी ने उक्त दुकान संख्या 4 का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलवाने हेतु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 21 व 23 के अन्तर्गत एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

> प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यूआईटी , श्रीगंगानगर द्वारा कब्जा देने का प्रपत्र से दुकान संख्या 4, पैमायशी 10 गुणा 20 फीट अन्तर्गत ट्रेक्टर एण्ड ऑटो मोबाईल योजना प्रार्थी हरीराम पुत्र बस्तीराम के नाम से होना प्रकट होता है।
>
> प्रार्थी के पक्ष में जगनलाल पुत्र मेघराज , रमेशचन्द्र पुत्र संतराम द्वारा शपथ पत्र पेश किए गए है जबकि अप्रार्थी के अभिकथनों के समर्थन में रामकुमार पुत्र बीरबलराम, राजेन्द्र पुत्र बृजलाल राधेश्याम पुत्र अमीलाल द्वारा शपथ पत्र पेश किये गए है।
>
> अप्रार्थी के समर्थन में रामकुमार पुत्र बीरबलराम, राजेन्द्र पुत्र बृजलाल राधेश्याम पुत्र अमीलाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पुत्र से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि "हरीराम के नाम से विवादित विचाराधीन दुकान संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परिवार की आय से खरीदी गयी है जो हरीराम/प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पिता को बंटवारे में दी गई थी एवं अप्रार्थी के पिता सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी इस दुकान से जीवन यापन कर रहा है"

यदि उक्त शपथ पत्र पर विश्वास भी किया जाए तो भी यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है एवं अपना भरण पोषण स्वयं नही कर सकता। प्रार्थी को यदि इस दुकान का कब्जा दिला भी दिया जाए तो प्रार्थी स्वयं कार्य करने में सक्षम नही है। अतः प्रार्थी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी, प्रार्थी की सहमति के बिना दुकान में दखलअंदाजी नहीं करेगा। प्रार्थी के जीवनकाल में उसके भरण पोषण के मद्देनजर दुकान का किसी को भी अन्तरण/बेचान नहीं किया जा सकेगा। अप्रार्थी दुकान से प्राप्त आय में से 5000/— रूपये पांच हजार रूपये प्रार्थी को प्रतिमाह अदा करेगा एवं प्रार्थी को तंग परेशान करने से निषेध रहेगा। उक्त राशि अप्रार्थी को प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थी अप[illegible] अपने स्तर से उपलब्ध कर[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 03.03.2022 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2022 को निरस्त कर विवादित दुकान संख्या 4 ट्रेक्टर एवं ऑटो मोबाईल मार्केट, श्रीगंगानगर का कब्ज दिलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।
> 2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा कब्जा देने का प्रपत्र से दुकान संख्या 4, पैमायशी 10 गुणा 20 फीट अन्तर्गत ट्रेक्टर एण्ट ऑटो मोबाईल योजना प्रार्थी हरीराम पुत्र बस्तीराम के नाम से होना [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त आवं[illegible] की राशि अकेले अप्रार्थी द्वारा वहन की गई थी अथवा संयुक्त परिवार [illegible]। इसके साथ ही पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है जिससे ज्ञात होता हो कि उक्त दुकान का निमार्ण किसके द्वारा करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उसके पिता सुरेन्द्र कुमार को उक्त दुकान संख्या 4 पैमायशी 10 गुणा 20 फीट घरेलू बंटवारे में प्राप्त होना अंकित किया है परन्तु इसके परिणामस्वरूप कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये गये है तथा घरेलू बंटवारा कब किया गया इसका का भी कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 01.06.1996 दस्तावेज उपलब्ध है, जिसमें निम्नानुसार अंकित है :

"दुकान नं 4 का सामान 1–6–96"

उक्त दस्तावेज दिनांक 01.06.1996 में मिस्त्री के सामान अंकित है जिससे प्रतीत होता है अप्रार्थी अमित के पिता सुरेन्द्र कुमार उक्त दुकान संख्या 4 पर वर्ष 1996 से उक्त विवादित दुकान में मिस्त्री का कार्य करते होगें।

विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने पोते अमित के विरूद्ध माता पिता एवं विरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर विवादित दुकान संख्या 4 ट्रेक्टर एवं ऑटो मोबाईल मार्केट, श्रीगंगानगर का कब्जा दिलवाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है तथा किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नही की हैं साथ ही अपीलार्थी ने विचाराधीन प्रकरण अपने पोते अमित के विरूद्ध पेश किया है जबकि उसके दो अन्य पुत्र रामजीलाल व गोपीराम भी है। अपीलार्थी ने अपने दोनों पुत्रों रामजीलाल व गोपीराम से भी किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग भी नहीं की है।

वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी ने उक्त विवादित दुकान नं0 4 पैमाईशी 10 गुणा 20 फीट दिलाने की मांग की है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त विवादित दुकान का कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थी उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पोते रेस्पोडेंट अमित कुमार से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> 4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–
>
> (1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
>
> (i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
>
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।
>
> (2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
>
> (3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
>
> (4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह [illegible] नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या [illegible] वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त कर[illegible]
>
> परन्तु जहां एक [illegible] अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/— तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2022 अन्तर्गत धारा 16 **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है।** इसलिए अपीलार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। **फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।**

आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 03.03.2022 यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व [illegible] भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:51 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश [illegible] दिनांक [illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर